5-1-21 आज पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट का कथन है कि इन्तकाल नम्बर 28 ग्राम चैना पुरा से वीरीसिंह पुत्र होली राम की विरासत में स्वीकार हुआ है। जिसमें आवेदक श्यामसिंह का नाम नैहना पुत्र वीरीसिंह अंकित किया गया है जबकि नैहना पुत्र वीरीसिंह नाम का कोई व्यक्ति नही है श्यामसिंह पुत्र वीरीसिंह नाम का पुत्र का सहवन से गलत नाम अंकित कर दिया है। तहसीलदार धौलपुर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। पटवारी हल्का व भू अभि- लेख निरीक्षक ने जाँच कर तहसीलदार को रिपोर्ट प्रस्तुत की कि जाँच करने पर नैहना का वास्तविक नाम श्यामसिंह पुत्र वीरीसिंह है। नैहना व श्याम- सिंह एक ही व्यक्ति के दो नाम है। सहवन से नैहना दर्ज हो गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया नामान्तर- करण संख्या 28 वाके ग्राम चैना का पुरा खसरा नम्बर 1745, 1625, 1626, 1671, 1672, 1673, 1733, 1739, 1634, 1735, 1512, 1513, 1535, 1537, 1538, 1539, 1791 पर वीरीसिंह के वारिसान सावित्री पत्नी वीरीसिंह, उदयसिंह, नैहना, धनश्याम, कुंवरसिंह, बबलू पुत्रान फूलो, सुन्दर, श्यामो, जसोदा पुत्रीयान पिसरान वीरीसिंह जाति कुशवाह के नाम दर्ज हुये है। नैहना पुत्र वीरीसिंह का वास्तविक नाम श्यामसिंह पुत्र वीरीसिंह है। नैहना व श्यामसिंह एक ही व्यक्ति के दो नाम है। अतः नैहना के स्थान पर श्यामसिंह पुत्र वीरीसिंह अंकित किया जाना हम उचित समझते है अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है आराजी खसरा नम्बर 1745, 1625, 1626, 1671, 1672, 1673, 1733, 1739, 1634, 1735, 1512, 1513, 1535, 1537, 1538, 1539, 1791 वाके ग्राम चैना का पुरा तहसील धौलपुर से नैहना पुत्र वीरीसिंह जाति कुशवाह निवासी चैना का पुरा तहसील धौलपुर का नाम लोपित किया जाकर उसके स्थान पर श्याम सिंह पुत्र वीरीसिंह

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज.)

हुक्म		में जारी हुये
	जाटि-कुशवाह निवासी चैना का पुरा (सरानी) तहसील-धौलपुर का नाम राजस्व अभिलेख में अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार को परवाना जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	
	उपखण्डाधिकारी धौलपुर (राज.)	